बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

का0आ0सं0–भवन / भू–सम्पदा–01–आवास–(राजपत्रित)–01 / 2026-20 पटना, दिनांक– 16/2/15

'कार्यालय आदेश'

राजपत्रित आवास आवंटन समिति द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में पूर्वादेश को विखंडित करते हुए निम्नांकित पदाधिकारी को नियमानुसार आदेय किराया एवं करों के भुगतान की शर्त्त पर आवास आवंटित किया जाता हैः–

क्र0	Reg No	पदाधिकारी का नाम / पदनाम	विभाग / कार्यालय	आवंटित आवास
1.	GZ16085	श्री विवेक कुमार, अवर सचिव	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	**F/4 ए टू जेड सेट, न्यू पुनाईचक**

2. सरकारी आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली, 1986 के नियम–10 के अधीन आवंटी पदाधिकारी से अनुरोध है कि पत्र प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे कि उन्हें आवंटित आवास स्वीकार है अथवा नहीं। यदि आवंटित आवास स्वीकार है तो उक्त अवधि के अन्दर आवास अधिग्रहण कर भवन निर्माण विभाग को तदनुसार सूचित करेंगे।

3. नये आवंटी पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता से सम्पर्क स्थापित कर आवंटित आवास का प्रभार लेकर उसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को देंगे।

4. स्थानान्तरण या अन्य कारणों से पटना स्थित पात्र कार्यालय में पदस्थापन की अवधि समाप्त होने पर उनका आवंटन स्वतः रद्द समझा जाएगा और उनसे सरकारी आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली,1986 के नियम–11(2) में विहित प्रावधानों के अनुसार आवास किराया / दण्ड किराया लिया जाएगा तथा नियमानुसार निष्कासन की कार्रवाई की जाएगी।

5. अगर पटना में आवासी का कोई अपना मकान हो तो आवास आवंटन नियमावली, 1986 के प्रावधान के अनुसार इस संबंध में वे तदनुसार, कार्यपालक अभियंता, कर प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग को आवास अधिग्रहण की स्थिति में सूचित करेंगे।

6. भवन निर्माण विभाग के पूर्व लिखित अनुमति लिए बिना आवास में पदाधिकारी द्वारा कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा। यदि कोई पदाधिकारी आवास के किसी भी भाग में अनधिकृत्त रूप से कोई निर्माण कार्य करे ; अथवा आवास का या उसके किसी भाग का उपयोग किसी ऐसे प्रयोजन के लिए करे जिस प्रयोजन के लिए वह नहीं बना है, तो आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली, 1986 के नियम–22 के तहत भवन सचिव आवास का आवंटन रद्द कर सकेंगे तथा संबंधित पदाधिकारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई भी की जा सकेगी।

7. सरकारी आवास संबंधी किसी भी विषय, विवाद या अनियमितता को आवास आवंटन नियमावली, 1986 के नियमों के अनुरूप निस्तारित किया जाएगा।

8. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0 / –
(शिव रंजन)
संयुक्त सचिव–सह–भू–सम्पदा पदाधिकारी

ज्ञापांकः—भवन / भू—सम्पदा—01—आवास—(राजपत्रित)—01 / 2026—1612(अ) पटना, दिनांकः—16/2/26

प्रतिलिपिः—माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव / सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग / संबंधित आवंटी पदाधिकारी / मुख्य अभियंता(पटना) / कार्यपालक अभियंता, पाटलिपुत्र भवन प्रमण्डल, पटना / कर प्रमण्डल / विद्युत कार्य प्रमण्डल सं0—1 एवं 03, भवन निर्माण विभाग, पटना / कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी प्रमण्डल (पेसू) / निदेशक (तकनीकी), एन.आई. सी आई.टी.मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/2/26

संयुक्त सचिव—सह—भू—सम्पदा पदाधिकारी।